्यालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2024/230

प्रकरण संख्या 71/24

अनवान

श्री पोखर पिता उदा जी गाडरी निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........प्रार्थी

बनाम

श्रीमती चन्दीबाई पत्नी लच्छीया गाडरी निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

श्री चोथमल पिता मोहनलाल मेनारिया निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

श्रीमती जानीबाई पत्नी हिरालाल जोशी निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

श्रीमती बाबरी पत्नी केलाशचन्द्र गाडरी निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

श्री बाबरू पिता डालु गाडरी निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

श्री मिठूलाल पिता पोखर गाडरी निवासी खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज।

श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.........विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री रमेश चन्द्र सांगावत, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 05.09.2024

र्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया सके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा, तहसील भीण्डर ला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 744 की आराजी न. 6217/3088 ता 01 रकबा 0.1300 हे. भूमि स्थित हैं जो कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम कित हैं तथा उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं ाधिपत्यधारी हैं।

ह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रेकर्ड में ंकित है। उक्त भूमि के पडोस में विपक्षीगण की भूमि है और प्रार्थी एवं विपक्षीगण ी भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से मौके में आये दिन सीमा को लेकर विपक्षीगण विवाद पैदा किया जा रहा है तथा प्रार्थी की खातेदारी उपयोग उपभोग की उक्त भूमि में जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हुए विपक्षीगण द्वारा मौके पर विवाद पैदा किया जा रहा है जिससे प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 5, 6 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 1 से 4 के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:48:43 IST
Reason: SelfAttested

गये। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण मे अधिवक्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे बहस सुनी गई।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रकरण मे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 5, 6 द्वारा किये जाने पर कोई आपत्ति नही जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का वि से खण्डन नही किया गया। हमने पाया की प्रार्थनागरस्त भूमि प्रार्थी की खातेदा विपक्षीगण प्रार्थनागरस्त भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के पुख्ता सीमाकन नही होने से आये दिन होने वाले विवाद से बचन के लिये प्रार्थी कराना चाहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जा प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधि स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा, तहसील भीण्डर जिल की जमाबंदी 2078—81 की खाता संख्या नया 744 की आराजी न. 6217/3088 किता 01 1300 है. भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थ तहसीलदार भीण्डर को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियु जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे पत्थरगढी कर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नही यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नही है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करे कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवा पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:48:43 IST
Reason: SelfAttested